कार्यालय लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, सुलतानपुर।

विज्ञप्ति (आबकारी दुकानों का दैनिक व्यवस्थापन)

संख्या : 1440 /जि0आ0अधि0/सुलतानपुर/व्यवस्थापन 2018–19/दिनांक 30.03.2019

आबकारी आयुक्त उ0प्र0 के पत्र संख्या–ए–103644–718/दस–लाई0–18/जी–12/2017–18 दिनॉक:प्रयागराज:मार्च 29, 2019 के कम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अव्यवस्थित देशी शराब दुकान–सातनपुर, लाल का पुरवा बीयर दुकान–करौदीकलॉ तथा भांग दुकान–हलियापुर, हरौरा, सुदनापुर, बगिया चौराहा व मुंगरे को 14 दिन के लिए या दुकान के स्थायी व्यवस्थापन होने तक, जो भी पहले हो की अवधि के लिए दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दिनांक 01–04–2019 से दैनिक आधार पर किया जाना है। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस से कम का आफर/आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। वर्ष 2019–20 हेतु आफर में उल्लिखित किये जाने वाले निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस एवं उसके आधार पर आगणित बेसिक/लाइसेंस फीस/धरोहर धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	14 दिवस हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस	धरोहर धनराशि (रू0में)
1	सातनपुर	देशी	328.00 ब0ली0	आफर एम0जी0क्यू0×3
2	लाल का पुरवा	देशी	314.00 ब0ली0	आफर एम0जी0क्यू0×3
3	करौदीकलॉ	बीयर	रू0 23014.00	आफर लाइसेंस का 10 प्रतिशत
4	हलियापुर	भॉग	रू0 1152.00	आफर लाइसेंस का 10 प्रतिशत
5	हरौरा	भॉग	रू0 2302.00	आफर लाइसेंस का 10 प्रतिशत
6	सुदनापुर	भॉग	रू0 960.00	आफर लाइसेंस का 10 प्रतिशत
7	बगिया चौराहा	भॉग	रू0 2878.00	आफर लाइसेंस का 10 प्रतिशत
8	मुंगरे	भॉग	रू0 576.00	आफर लाइसेंस का 10 प्रतिशत

अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकगण, जनपद सुलतानपुर से प्राप्त की जा सकती है। उक्त दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति (जो आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु अनर्ह न हो) कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सुलतानपुर में निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पूर्ण कर अपना प्रस्ताव दिनॉक 01.04.2019 तक 14.00 बजे तक उपलब्ध करा सकते है। उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट www.sultanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(सुधीर कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
सुलतानपुर।

(दिव्य प्रकाश गिरी)
लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।

प्रकाशन हेतु नहीं है:–

संख्या :1441-50/तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र, सुलतानपुर।
3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करायें।
4– समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, सुलतानपुर को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
5–विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/स्पष्ट आवाज जनपद–सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण के अग्रिम अंक में न्यूनतम स्पेस पर प्रकाशित कर बिल जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीर कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
सुलतानपुर।